न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
31/2024	05.08.2024	28.11.2025

छुट्टन पुत्र मनफूल, गुर्जर निवासी टोटोलाई तह0 तलावडा ——प्रार्थी

बनाम

1. भरत पुत्र रामधन, गुर्जर निवासी टोटोलाई तह0 तलावडा
2. भरोसी पुत्र रामधन, गुर्जर निवासी टोटोलाई तह0 तलावडा
3. मीठा पुत्र रामधन, गुर्जर निवासी टोटोलाई तह0 तलावडा
4. गिरधारी पुत्र सुआ, गुर्जर निवासी टोटोलाई तह0 तलावडा
5. राधाकिशन पुत्र सुआ, गुर्जर निवासी टोटोलाई तह0 तलावडा
6. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, टोटोलाई जरिए प्रधानाध्यापक
7. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तलावडा ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राज0 अधिनियम

उपस्थित :— श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 187/626 रकबा 0.19 है0 ग्राम टोटोलाई तह0 तलावडा मे है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के चारो तरफ निशानात भी लगाये गये है। प्रार्थी की भूमि के चारों तरफ अप्रार्थीगण की भूमि स्थित हैं। भविष्य मे प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थीगण अतिक्रमण नही करे इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि के चारों तरफ की सीमाओं पर पत्थरगढी करवाना चाहता है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 187/626 रकबा 0.19 हे0 ग्राम टोटोलाई की चारों सीमाओं की पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 73, 115,141, 222,141,73,115 ग्राम टोटोलाई, नकल नक्शा ट्रेस फोटोकोपी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 28.7.2016, 11.7.15, प्रस्तुत किए हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.12.29 16:56:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। वकील प्रार्थी को सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 73 ग्राम टोटोलाई के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है इसलिए प्रार्थीगण भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा को आदेश दिया जाता है कि मौके पर कोई विवाद नहीं हो तो वह प्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल ख0न0 187/626 रकबा 0.19 है0 ग्राम टोटोलाई, तह0 तलावडा की पत्थरगढी करवावें। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार लैण्ड होल्डर तलावडा को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.12.29 16:56:27 IST
Reason: SelfAttested